राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

जगदीश बनाम बाबूलाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	191/2017	
15/12/25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 18/12/2025 को पेश हो।	
18/12/25	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो. की एकतरफा बहस समायत करते हुए आदेश दिनांक 11/05/1998 पारित करते हुये अप्रार्थी/अपीलार्थी को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया, तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12/05/2017 पारित करते हुए अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 11/05/1998 को ताफैसला मूल वाद कन्फर्म कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किये जाने से प्रार्थी/रेस्पो. बाबूलाल प्रश्नगत भूमि के सन्दर्भ में हितबद्ध व्यक्ति प्रथमदृष्टया जाहिर होता है एवं चूँकि वाद के निस्तारण के वक्त पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य-सबूत के आधार पर निर्णय होना अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अभी शेष है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में अनावश्यक नवीन विवाद उत्पन्न होकर वाद बहुलता नही बढ़े के मध्यनज़र विवादग्रस्त भूमि की यथास्थिति को बनाये रखा जाना न्यायोचित्त एवं आवश्यक प्रतीत होता है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से जो अन्तरिम आदेश दिनांक 11/05/1998 को ता-फैसला वाद कन्फर्म किया गया है, वह उचित प्रतीत होता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12/05/2017 में कोई त्रुटी प्रतीत नही होने से उसे यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	